

प्रेषक,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास(खनन)
अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या 4368 / तीस-खनन/2022-23,

दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय: जनहित याचिका संख्या-17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज
बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-504/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 25.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-17/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti illegal Mining Force) के क्रम में जनपद स्तर पर गठित की गई समिति के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) गठन सम्बन्धी आदेश की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

आदेश

सचिव उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-17/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा | - | अध्यक्ष। |
| 2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच | - | सदस्य। |
| 7. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान | - | सदस्य। |

उक्त के अतिरिक्त तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोध दल(Anti illegal Mining Force) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष। |
| 2. सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी | - | सदस्य। |
| 3. सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी | - | सदस्य। |
| 4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा | - | सदस्य। |
| 6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच | - | सदस्य। |
| 7. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान | - | सदस्य। |

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल(Anti illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 27/03/2023

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा। 0

संख्या 4366 / तीस-खनन/2022-23,

दिनांक 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. समस्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।
7. समस्त वन पंचायत सरपंच, जनपद अल्मोड़ा(द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा)
8. समस्त ग्राम प्रधान, जनपद अल्मोड़ा(द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा)

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।